कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

//विज्ञापन//

क्रमांक-94/दो-11-1/2005 अम्बिकापुर, दिनांक 30/05/2017

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 30.06.2017 सायं 05.00 बजे तक।

सरगुजा जिला कुटुम्ब न्यायालय स्थापना के अन्तर्गत निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3 रायपुर दिनांक 10.03.2015 के अनुसार सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले, जिलों के स्थानीय निवासी उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

(1) रिक्त पदों का विवरण।

क्र0	पद का नाम	रिक्त पदो की संख्या	आरक्षित												अनारक्षित			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग							
			मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	विकलांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	विकलांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	विकलांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	विकलांग
1	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–
2	सहायक ग्रेड-3 (साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक)	02	–	–	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	03	–	–	–	–	02	–	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–

टीप :- परीक्षा केन्द्र का नाम एवं समय की जानकारी अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जावेगी । अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि के दो दिवस पूर्व तक यदि प्रवेश–पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अम्बिकापुर (सरगुजा) छ.ग. से कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक प्रविष्टीयां स्वयं पूर्ण कर पहचान पत्र, यथा ड्राईविंग लायसेंस, वोटर आई.डी, आधार कार्ड, पेन कार्ड सहित नियत दिनांक को उपस्थित होंगे। यदि उनकी उम्मीदवारी सही पाई गई तो आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी।

(2)- (i) <u>स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिए</u>

(अ) वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200+ ग्रेड वेतन–2800.00

(ब) <u>शैक्षणिक योग्यता</u> –

1– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

2– छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष परीक्षा बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

3– डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

(ii) <u>सहायक ग्रेड–3 (साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक) पद के लिए</u>

(अ) वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200+ ग्रेड वेतन–1900.00

(ब) <u>शैक्षणिक योग्यता</u> –

1– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

2– छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष परीक्षा बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

3– डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

(3) आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

(1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(2) (अ) कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(ब) कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(स) कोई पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(3) **दिनांक 01 जनवरी, 2017 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो।** छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के ज्ञापन क्र0- एफ-3-2/2015/1-3, नया रायपुर, दिनांक 23.01.2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्षो में 05 वर्ष की छूट कलेण्डर वर्ष 2018 की समाप्ति तक प्रदान की गई है। परंतु अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नही होगी। अन्य विशेष वर्गो जैसे अनुसूचित जनजाति, के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट प्राप्त हैं, वे छूट लागू रहेंगी, परन्तु सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (छ0ग0सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-3-2/2002/1-3 दिनांक 16/09/2008.

(4) आवेदक को अच्छे चरित्र और स्वस्थ मन एवं शरीर का होना चाहिए और ऐसी मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलताओं से मुक्त होना चाहिए जो उसे आवेदित पद के अयोग्य बनाता हो।

(5) आवेदक को नैतिक अधमता (Moral Trupitude) से युक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए।

उच्चतम आयु सीमा में छूट :-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-

3 (एक)(1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

3 (एक)(3)- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेंगी।

यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3 (एक)(4)- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>स्पष्टीकरण</u> :- ***छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।***

3 (एक)(7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र0- एफ 1-2/2002/1/3, दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

3 (एक)(8) स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3 (दो)(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 02 वर्ष तक की छूट रहेगी।

3 (दो)(2) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण "सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक- सी. 3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम् आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

3 (दो)(3) विक्रम पुरस्कार, शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद्र भंज देस सम्मान राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक- एफ-19-2 /2005/1-3, दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम् आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

टीपः- (1) बिन्दु क्रमांक 3(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक- 3(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम् आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि

कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक- (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :- यदि कोई अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के साथ-साथ ग्रीन कार्डधारी तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट और दी जाएगी। ग्रीनकार्ड अथवा अन्तरजातीय विवाह के लए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी। यदि अनुसूचित जनजाति के आवेदक केवल ग्रीनकार्ड धारक हो, तो उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट के साथ ग्रीनकार्ड धारकों के लिये दो वर्ष की और अधिकतम् आयुसीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा। अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अन्तरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नही दी जायेगी।

(3) उपरोक्त में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

<u>महत्तवपूर्ण टीप -</u> यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तो को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जाएगी। **<u>सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</u>**

(4) <u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

1- आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार ही स्वीकार किये जायेगें। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **<u>दिनांक 30.06.2017 की संध्या 5.00 बजे</u>** तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम अंकित करते हुए, कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कलेक्टोरेट परिसर, सरगुजा (अम्बिकापुर) छ.ग. पिन-497001 के पते पर रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। **<u>दिनांक .30.06.2017 की संध्या 5.00 बजे</u>** के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। **<u>आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं पांच-पांच रूपये का डाक टिकट लगा हुआ एवं स्वयं का पता लिखा हुआ दो लिफाफा संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि आवेदक द्वारा टिकट चस्पा लिफाफा संलग्न नही किया जाता है, तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी कार्यालय की नही होगी।</u>**

यदि डाक विभाग की त्रूटि या किसी अन्य कारण से भी आवेदन निर्धारित समय तक प्राप्त नही होता है, तो भी उस पर विचार नही किया जावेगा।

2– जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण–पत्र अथवा पांचवीं एवं हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

3– ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

4– डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी और इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

5– विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त एवं प्रेषित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(5) महत्तवपूर्ण निर्देश

1– चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सरगुजा (अम्बिकापुर) को होगा।

2– चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3– चयनित उम्मीद्वारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान से किए जाने के अध्यधीन होगी।

4– चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी। परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

5– आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को यदि किसी कारणवश् अवकाश दिवस घोषित होता है, तो आगामी कार्य दिवस अंतिम तिथि मानी जावेगी।

6– चयन प्रक्रिया, चैयन एवं नियुक्ति के संबंध में न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सरगुजा (अम्बिकापुर) का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा। कोई अयोग्य पाये जाने पर किसी भी स्तर पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

7– यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये, किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

8– आरक्षित पद के विरूद्ध चयनीत अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

9– चयन परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के एक वर्ष पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होगें, तथा उक्त अवधि के पश्चात् सूचना

के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/ निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नही होगा।

10- उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शित रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

11- प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो का परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी, तथा वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी। दावा आपत्ति निर्धारित दिनांक के सायं 05.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी। तत्पश्चात् किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा। कौशल परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवार की अंतिम सूची वेबसाईट पर देखा जा सकेगा।

12- परीक्षा तिथि व स्थान की सूचना वेबसाईट के माध्यम से भी दी जा सकेगी।

13- भर्ती प्रक्रिया को संशोधित करने/विलोपित करने एवं उत्पन्न किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगें।

14- अभ्यर्थी को किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पद्च्यूत न किया गया हो।

(6) अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।

(7) नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया

(i)- उपरोक्त पदों क्रमशः स्टेनोग्राफर (हिन्दी), साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक (सहायक ग्रेड-3) के चयन हेतु **प्रायोगिक कौशल परीक्षा दो चरणों में** आयोजित की जावेगी। प्रत्येक चरण की प्रायोगिक कौशल परीक्षा 50-50 अंक के होगें। इस प्रकार उक्त प्रायोगिक कौशल परीक्षा में कुल 100 अंक के होगें।

(अ) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) प्रायोगिक कौशल परीक्षा- कुल 100 अंकः-

प्रथम चरण में :- स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिए प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु नियत तिथि पर उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावध्रि में शुद्धता से कम्प्यूटर से टाईप करना होगा, जिसके लिये 50 अंक नियत है।

द्वितीय चरण में :- 50 अंक शुद्ध लेखन (ईमला) होगा, जिसमें 250 शब्द के गद्यांश का ईमला 10 मिनट की समयावधि में बोला जायेगा, जिसे उसी समय कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

(ब) **सहायक ग्रेड-3 (साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक हेतु) प्रायोगिक कौशल परीक्षा- कुल 100 अंक :-**

प्रथम चरण में :- सहायक ग्रेड-3 (साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक) पद के लिए प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु नियत तिथि पर उम्मीदवारों को 250 शब्द का पूर्व टंकित गद्यांश दिया जायेगा, जिसको देखकर और पढ़कर 10 मिनट की समयावधि में कम्प्यूटर से टाईप करना होगा, जिसमें 50 अंक होंगे।

द्वितीय चरण में :- 50 अंक शुद्ध लेखन (ईमला) होगा, जिसमें 250 शब्द के गद्यांश का ईमला 10 मिनट की समयावधि में बोला जायेगा, जिसे उसी समय कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

टीपः-(1) कौशल परीक्षा में स्टेनोग्राफर(हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-3 के प्रथम चरण की कौशल परीक्षा में 25 त्रुटियां एवं इसी प्रकार द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा में 25 त्रुटि तक प्रत्येक त्रुटि पर एक-एक अंक की कटौती की जावेगी, तथा प्रथम चरण की कौशल परीक्षा एवं द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा में 25-25 से अधिक त्रुटियां होने पर आगे जांच नही किया जावेगा, और उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जावेगा।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है, कि यदि किसी अभ्यर्थी ने स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड-3 के उक्त पदों के लिए पृथक-पृथक आवेदन दिया है, तो ऐसे अभ्यर्थी का एक ही बार परीक्षा लिया जावेगा, जो आवेदित सभी पदों हेतु मान्य होगा। कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी, परंतु चयन सूची में स्थान प्राप्त करने पर भी किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई आधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि, नियुक्तिकर्ता अधिकारी, ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि, उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

(ii)- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्मतिथि भी समान पाए जाने की दशा में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन किया जावेगा।

(iii)- <u>प्रावीण्य सूची</u> –स्टेनोग्राफर(हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड–3 (साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक) का प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में लिये गये प्रायोगिक कौशल परीक्षा में कुल प्राप्त अंको के आधार पर उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी, और उक्त प्रावीण्य सूची अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

(8) अन्य आवश्यक सूचनाएं

(i) इस कार्यालय द्वारा स्टेनोग्राफर(हिन्दी) एवं साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक (सहायक ग्रेड–3) के रिक्त पद पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विज्ञापन का विस्तृत विवरण कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) के वेबसाईट surguja.court@gov.in एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (NIC) अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ०ग०) के वेबसाईट surguja.nic@gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(ii) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी। उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीद्वारों की पृथक–पृथक सूची कुटुम्ब न्यायलय, अम्बिकापुर के सूचना–पटल पर उपलब्ध करायी जायेगी। निरस्त किए गए आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति तीन दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(iii) ***योग्य पाये गये उम्मीदवारों को उनका प्रवेश पत्र डाक द्वारा उनके पते पर भेजा जावेगा, किन्तु समय पर उन्हें प्राप्त न होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।***

(iv) परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित्त स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक दिन में ली जा सकेगी।

स्थान – अम्बिकापुर।
दिनांक– 30.05.2017

न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, अम्बिकापुर
सरगुजा (छ०ग०)
30.5.2017

(स्टेनोग्राफर (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप)

अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज छायाप्रति स्वयं अभिप्रमाणित चस्पा करे।

प्रति,
न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
सरगुजा (अम्बिकापुर) छ.ग.

1. आवेदित पद का नाम ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ....

(अंग्रेजी के ब्लाक लेटर्स में) ....

3. लिंग- पुरुष, संकेतांक-1, महिला संकेतांक-2 [ ]

4. पिता/पति का नाम ....

5. अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता ....

(हिन्दी में) ....
....

ब) स्थायी पता ....
....
....

6. अ)जन्म तिथि - अंको में- ....

शब्दों में ....

ब) दिनांक 1/1/2017 को आयुः- वर्ष............माह........... दिन............

7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग का मूल निवासी है? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।) [ ]

8. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिये घोषित अनुसूचित जनजाति का सदस्य है? हां/नहीं (यदि हां,तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।) [ ]

9. क्यां आप विवाहित है ? (हां/नही)

10. यदि हां तो विवाह की तारीख – ....

11. जीवित बच्चों की संख्या – ....

12. रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन क्रमांक ....
दिनांक....................................

13. रोजगार कार्यालय का नाम ....

14. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6

15. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

16. क्या आप निर्धारित आयुसीमा में छूट चाहते हैं ? हां/नहीं

17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः- 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत् जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक ....
स्थान ....

आवेदक का हस्ताक्षर..........................

नाम एवं पूरा पता.............................

....

मोबाईल न0-...................................

कार्यालय न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय, सरगुजा(अम्बिकापुर) छ.ग.

प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र
स्टेनोग्राफर (हिन्दी) एवं साक्ष्य लेखक/आदेशिका लेखक(सहा०ग्रेड-३)
(प्रवेश पत्र दो प्रतियों में संलग्न करें)

अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज छायाप्रति स्वयं अभिप्रमाणित चस्पा करे।

रोल नम्बर :-

परीक्षा केन्द्र/ संस्था :-

परीक्षा का दिनांक :-

(कार्यालय द्वारा भरा जावेगा।)

आवेदक बाक्स में हस्ताक्षर करें।

(आवेदक द्वारा भरी जाने वाली जानकारी)

आवेदित पद का नाम:..

परीक्षार्थी का नाम :..

पिता का नाम :..

वर्ग- :..

पता- :..

:..

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र एवं पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

3. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं

5. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।

6. परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक/चयन समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।

7. परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षा प्रपत्र पर किसी प्रकार का पहचान चिन्ह अंकित किए जाने पर परीक्षार्थी का उत्तर पुस्तिका की जॉच नहीं की जायेगी।

8. परीक्षा में किसी प्रकार का वर्जित कागजात, पुस्तक, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाईल इत्यादि रखना वर्जित है।